सिक्किम विश्वविद्यालय

दिनांक 26 मार्च 2018 को भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली में आयोजित वित्त समिति की 18वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थित सदस्य :

1.	प्रोफेसर जे.पी.तामांग, कुलपति (कार्यवाहक)	अध्यक्ष
2.	श्रीमती ईशिता रॉय, संयुक्त सचिव (उ.शि और के.वि) [विजिटर द्वारा नामित]	सदस्य(श्री सूरत सिंह, उपसचिव (केवि और भा), एमएचआरडी द्वारा प्रतिनिधित्व)
3.	डॉ. जितेंद्र के. त्रिपाठी [विजिटर द्वारा नामित]	सदस्य
4.	प्रो. एम.जी.किरण [ईसी द्वारा नामित]	सदस्य

वित्त समिति की 18वीं बैठक का आयोजन दिनांक 26 फरवरी 2018 को एआईयू में किया गया था, किन्तु कोरम पूरा नहीं होने के कारण बैठक रद्द कर दी गयी थी। वहीं बैठक दिनांक 6 मार्च 2018 को आईसीएसएसआर, नई दिल्ली में पुन: निर्धारित किया गया था, किन्तु कोरम की कमी के कारण स्थगित कर दी गयी थी।

दिनांक 26 मार्च 2018 को भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली में आयोजित स्थगित बैठक की सूचना सभी सदस्यों को भेजी गयी थी।

वित्त समिति के संबंध में सिक्किम विश्वविद्यालय विनियम आरई-3 धारा 6 के अनुसार उल्लेखित है कि "जहां वित्त समिति की बैठक विधिवत आयोजित की गयी है और बैठक के लिए निर्धारित समय से आधे घंटे के अंदर कोरम पूरा नहीं होता है तो बैठक को अगले हफ्ते उसी समय अथवा किसी अन्य तिथि, अन्य समय और स्थान , जैसा की उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्णय लिए जाएँ, में आयोजित करने हेतु स्थगित की जाती है। स्थगित बैठक की सूचना वित्त समिति के सभी सदस्यों को भेजी जाएगी। स्थगित बैठक में भी अगर निर्धारित समय से आधे घंटे के अंदर कोरम पूरा नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य कोरम पूरा कर सकेंगे।"

कार्यवृत्त

1. उक्त प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष सहित चार सदस्यों द्वारा बैठक शुरू की गयी। यह निर्णय लिया गया था कि सिक्किम विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए 7 वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन से संबन्धित एजेंडा मुद्द एफ़सी:18:06 को छोड़कर वित्त समिति की 18वीं बैठक के सभी एजेंडा को स्थगित किया जाएँ।
   कोरम पूरा नहीं होने तक पुष्टि के विषय सहित इस बैठक के सभी एजेंडा विषयों को वित्त समिति की बैठक में चर्चा नहीं की जाएगी।
2. वित्त समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों ने 7वें वेतन आयोग कि सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श किया और सर्वसम्मति से उसकी सिफ़ारिश की है और विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा विश्वविद्यालय को 7वें वेतन संशोधन से उत्पन्न अतिरिक्त वित्तीय बोझ के लिए 100% के वित्तपोषण करने के लिए तथा विश्वविद्यालय स्वयं 30% की अतिरिक्त बोझ को वहन करने की स्थिति में नहीं है, इस तथ्य की विस्तृत औचित्त प्रदान करते हुए यूजीसी को प्रस्ताव भेजने के लिए सिफ़ारिश की।
3. इसके अलावा समिति ने कुछ कर्मचारियों को दिये जा रहे मकान किराए में सहायता/सब्सिडि को तत्काल बंद करने तथा पहले दिये गए मकान किराए में सहायता/सब्सिडि को तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी सिफ़ारिश की।

हस्ता./-
(श्री देवाशीष पाल)
वित्त अधिकारी सह सचिव
वित्त समिति
सिक्किम विश्वविद्यालय
26.03.2018

हस्ता./-
(प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग)
कुलपति सह अध्यक्ष
वित्त समिति
सिक्किम विश्वविद्यालय
26.03.2018